**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2741**

**10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए**

**मैग्नेसाइट का भंडार**

**2741. श्री चिराग कुमार पासवान:**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित देश में मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन भंडारों के विकास/दोहन हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

(क) एवं (ख) : रिकॉर्डों के अनुसार, देश में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत 82 मि.टन और शेष संसाधन वर्ग के अंतर्गत 312 मिलियन टन सहित मैग्नेसाइट के कुल संसाधनों का अनुमान 394 मिलियन टन लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य में मैग्नेसाइट के कोई भंडार/संसाधन सूचित नहीं किए गए हैं। दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार मैग्नेसाइट के भंडारों/संसाधनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

| राज्य | भंडार | शेष संसाधन | कुल संसाधन |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 0 | 0.080 | 0.080 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0.298 | 0.298 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 4.145 | 4.145 |
| कर्नाटक | 1.389 | 4.592 | 5.981 |
| केरल | 0 | 0.040 | 0.040 |
| राजस्थान | 0 | 53.804 | 53.804 |
| तमिलनाडु | 73.577 | 24.649 | 98.226 |
| उत्तराखंड | 7.310 | 224.103 | 231.413 |
| **कुल** | **82.276** | **311.711** | **393.988** |

(ग) एवं (घ) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत, प्रमुख खनिजों के लिए, खनिज रियायत का आबंटन दो कागजातों यथा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा या खनन पट्टा की नीलामी के माध्यम से किया जा सकता है। इन खनिज रियायतों को प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। इसके अतिरिक्त, गौण खनिजों के लिए, राज्य सरकारें संरक्षक हैं और इनके द्वारा खनन पट्टे/लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। खनिजों का निष्कर्षण, राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतों के देने पर निर्भर करता है। खनिज संसाधनों का उपयोग, उद्योग द्वारा इसका दोहन करके और बाद में इसको प्रयोग में लाकर किया जाता है।

*****